न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 95/2020 **दायर दिनांकः 06.08.2020**

उनवान

1. रामचरन उम्र 56 वर्ष पुत्र छोट्या जाति मीणा निवासी मुआखेडा तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान
2. कल्याणी बाई उम्र 50 वर्ष पुत्री लक्ष्मण जाति मीणा निवासी मुआखेडा तहसील अटरु जिला बारां राजस्थान
3. द्रोपतीबाई उम्र 40 वर्ष पुत्री लक्ष्मण जाति मीणा निवासी मुआखेडा तहसील अटरु जिला बारां
4. मानसिंह उम 52 वर्ष पुत्र लक्ष्मण जाति मीणा निवासी मुआखेडा तहसील अटरू जिला बारां
5. घनश्याम उम्र 45 वर्ष पुत्र छोट्या जाति मीणा निवासी मुआखेडा तहसील अटरू जिला बारा
6. **6.** हरबाई उम्र 60 पुत्री लक्ष्मण जाति मीणा निवासी मुआखेडा तहसील अटरु जिला बारा राजस्थान

प्रार्थीगण

बनाम

1. अशोक उम्र 33 वर्ष पुत्र लालचंद जाति मीणा निवासी अमापुरा तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान
2. बनवारी पुत्र लालचंद जाति मीणा निवासी अमापुरा, तहसील अटरु जिला बारां राजस्थान
3. माणकचन्द पुत्र लालचंद जाति मीणा निवासी अमापुरा तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान
4. सीताराम पुत्र लालचंद जाति मीणा निवासी अमापुरा तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान
5. कान्तीबाई पत्नी लालचंद जाति मीणा निवासी अमापुरा तहसील अटरु जिला बारां राजस्थान
6. जानकीबाई पुत्री गोपाल जाति मीणा निवासी अमापुरा तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान
7. द्वारकाबाई पुत्री गोपाल जाति मीणा निवासी अमापुरा तहसील अटरु जिला बारां राजस्थान
8. सुशीलाबाई पुत्री गोपाल जाति मीणा निवासी अमापुरा तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान
9. धर्मराज पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी अमापुरा तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान
10. मेघराज पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी अमापुरा तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान

11. रामचन्द्र पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी अमापुरा तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान

12. लक्ष्मीबाई पत्नी गोपाल जाति मीणा निवासी अमापुरा तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान

13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू, तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :–
प्रार्थीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह।
अप्रार्थीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

निर्णय

दिनाकः 14/05/2025

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2071 से 2074 के अनुसार वाके ग्राम एवं माल कुण्डी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 431 का ख0नं0 1555 का रकबा 1.73 हे० कुल किता 1 का रकबा 1.73 हे० आराजी प्रार्थीगण के खाता दर्ज चली आ रही है। प्रार्थना पत्र कि मद न० 1 में वर्णित आराजी प्रार्थीगण के शामलाती खाता दर्ज चली आ रही है जिसमे आने जाने का रास्ता अप्रार्थीगण 1 लगायत 12 के खाते कि आराजी खसरा न० 1553 कि पश्चिम कि मेड व खसरा 1552 कि पूर्वी मेड व खसरा नं० 1551 कि पूर्वी मेड से होकर निकलता है इसमे खसरा 1551 व 1552 के खातेदार को प्रार्थीगण के मेड पर से निकलने पर कोई आपत्ति नही है लेकिन अप्रार्थीगण 1 लगायत 12 ने प्रार्थीगण के खेतो पर जाने का रास्ता उनके खेत कि उत्तरी पश्चिमी मेड पर पत्थर का कोट बनाकर रोक दिया प्रार्थीगण का यह रास्ता 50 वर्षों से भी अधिक समय पूर्व का बना हुआ है जिसको अप्रथीगण ने रोक दिया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण का रास्ता रोक दिये जाने से प्रार्थीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है प्रार्थीगण खेत पर हल कुली बैल ट्रेक्टर आदि लेकर आ जा नहीं सकते एवम् समय पर हकाई जुताई नहीं कर सकते जिससे प्रार्थीगण को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है और हमेशा लड़ाई झगडे कि सम्भावना बनी रहती है। अप्रार्थीगण उनके खेत खसरा न० 1553 की पश्चिमी मेड पर बने प्रार्थी के रास्ते को पत्थर का कोट बना कर बंद कर दिया तो प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नं० 1555 पर ट्रेक्टर ट्रोली हल कुली कृषि यंत्र आदि ले जाने से महरूम हो जावेगा और प्रार्थीगण का खेत पडत रह जावेगा जिससे प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं है

प्रार्थीगण के उक्त रास्ते को बिना न्यायालय कि सहायता के यथावत नहीं रखा जा सकता अस्तु प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 12 को पाबन्द फरमाया जावे कि वह मोके पर बने रास्ते को अवरुद नहीं करे मोके पर बने रास्ते को यथावत बनाये रखे तथा प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा न० 1553 पर आने जाने व हल कुली ट्रेक्टर ट्रोली लाने ले जाने में किसी प्रकार व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करे न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावे तथा राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी क्रम 13 को प्रदान किया जावे। विवादग्रस्त आराजी ग्राम महुआ खेडा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद अवधि मध्य एंव उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मोखिक निवेदन किये जावेगे

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 12 को पाबन्द फरमाया जावे कि वह मोके पर बने रास्ते को अवरूद्व नहीं करे प्रार्थीगण को अपने खेत ख० नं० 1553 पर आने जाने व हल कुली ट्रेक्टर ट्रोली लाने ले जाने में किसी प्रकार कि बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे एवं अप्रार्थी क्रम 13 को निर्देशित किया जावे वे राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में रास्ता का अंकन करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी क्रम 6 ता 8 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 व 9 ता 12 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि यह कि प्रार्थना पत्र का मद नं० 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का मद नं0 2 मनघडन्त तथ्यों पर दर्ज होने से स्वीकार नही है क्योकि अप्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 1553 के पश्चिमी मेड पर होकर प्रार्थीगण के खेत ख0नं0 1555 पर आने जाने का मौके पर कभी भी कोई रास्ता नही रहा हैं। प्रार्थना पत्र का मद नं0 3 का विवरण स्वीकार नही है अपितु कथन है कि कवाई गऊघाट रोड के लगवा दक्षिण में प्रार्थी क्रम 1 व 5 के खाते की आराजी ख0नं0 2323/1529, 2321/1529 तथा उसके बाद पश्चिम में प्राथी क्रम 2, 3, 4, 6 के शामलाती खाते की आराजी ख0नं0 1529 स्थित है और ख०नं० 1529 के लगवा ही प्रार्थीगण के शामलाती खाते की आराली ख0नं0 1555 स्थित है। ख0नं0 1529 की आराजी पूर्व में प्रार्थीगण के शामलाती खाते की थी। जिसमे होकर हमेशा अर्सा पिछले 100 वर्षों से रघुवीर, भगवान सिंह की आराजी के सहारे सहारे पश्चिमी मेड पर

होकर अपने कृषि यन्त्र टेक्ट्रर ट्रोली आदि खेत पर ख०नं० 1555 पर लाते ले जाते चले आ रहे है और वर्तमान में भी वही होकर कृषि यन्त्र टेक्ट्रर ट्रोली लाते ले जाते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण जो तथाकथित रास्ता मांग रहे है उसकी प्रार्थीगण को कोई आवश्यकता नही हैं। प्रार्थना पत्र का मद नं0 4 मनघडन्त एवं झूठे तथ्यो पर दर्ज होन से स्वीकार नही है। अप्रार्थीगण ने उनके खेत की फसल की सुरक्षा हेतु कोट बना रखा है। अप्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 1553 की पश्चिमी मेड पर होकर प्रार्थीगण का कभी भी रास्ता नही रहा हैं। प्रार्थीगण आराजी ख0नं0 1555 पर उनके खाते की रोड के पास स्थित की आराजी ख0नं0 2323/1529 से ख0नं0 1552 की आराजी के सहारे होते हुये आ जा रहे है तथा वही होकर प्रार्थीगण आराजी ख0नं0 1555 को काश्त कर रहे है अप्रार्थीगण की भूमि मे होकर नया रास्ता बनाना चाहते है। जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। प्रार्थना पत्र का मद नं0 5 का विवरण स्वीकार नही हैं। क्योकि प्रार्थीगण जानबूझ कर जबरन अप्रार्थीगण की आराजी मे नया रास्ता बनाने को लेकर जानबूझ कर विवाद पैदा कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र का मद नं0 6 कानूनी हैं। प्रार्थना पत्र का मद नं0 7 का जवाब बवक्त बहस मौखिक दिया जावेगा। प्रार्थीगण द्वारा चाही गई प्रार्थना स्वीकार नहीं हैं तथा निम्नलिखित विशेष कथन किए गए।

विशेष कथन

वाके ग्राम एवं माल कुण्डी तहसील अटरू में आराजी ख0नं0 1529 प्रार्थीगण के पूर्व में शामलाती खाते दर्ज चली आ रही थी यह आराजी कवाई गऊघाट रोड के लगवा दक्षिण साईड में स्थित हैं। उक्त आराजी ख0नं0 1529 मे प्रार्थीगण के मध्य विभाजन हो गया है। विभाजन के बाद मिन ख०नं० बनाकर नये ख0नं0 2323/1529, 2321/1529 मे अलग अलग आराजीयात विभाजित हो गई है प्रार्थीगण उनके पूर्वजो के समय से ख0नं0 1552 की आराजी के सहारे ख0नं0 1529 मे होकर आराजी ख0नं0 1555 को काश्त करने के लिए कृषि यन्त्र टेक्ट्रर ट्रोली इत्यादि निकालते चले आ रहे हैं और इस वर्ष भी यही होकर प्रार्थीगण ने टेक्ट्रर ट्रोली कृषि यन्त्र ले जाकर आराजी ख०नं0 1555 को काश्त की है। अप्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी ख0नं0 1553 की पश्चिमी मेड पर होकर कभी भी प्रार्थीगण के खेत ख0नं0 1555 पर आने जाने का रास्ता नही रहा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से उनके खाते की आराजी मे से नया रास्ता चाहा है जबकि मौके पर पुराना स्थायी रास्ता मौजूद है। न्यायालय में उक्त उनवान का प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यो पर पेश किया गया हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल निरस्तनीय हैं। जवाब

प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा एवं प्रार्थीगण के खाते की आराजी ख0नं0 2323/1529, 2321/1529, 1529 पेश है। जो काबिल गौर हैं। प्रार्थीगण की खाते की आराजी कवाई गऊघाट रोड के लगवा दक्षिण साईड मे स्थित हैं और ख0नं0 1529 के लगवा ही प्रार्थीगण के शामलाती खाते की आराजी ख0नं0 1555 स्थित है तथा ख0नं0 2323/1529 व 2321/1529 को भी काश्त करने के लिए कवाई गऊघाट रोड से उनके खेतो पर टेक्ट्रर ट्रोली कृषि यन्त्र ले जाते है तो ख0नं0 1529 के लगवा ख0नं0 1555 में टेक्ट्रर ट्रोली कृषि यन्त्र लाने ले जाने में प्रार्थीगण को कौनसी परेशानी हो रही है। जबरन दादागिरी से एवं उक्त उनवान के प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थीगण नया रास्ता बनवाकर अप्रार्थीगण की आराजी की फसल को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से माननीय न्यायालय मे झूठे तथ्यो के आधार पर वास्तविक तथ्यो को छिपा कर अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के आशय से प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। जो निरस्तनीय है। प्रार्थीगण के खेत ख0नं0 1555 पर आने जाने के रास्ते हेतु उनके स्वयं के खाते की आराजी ख0नं0 2323/1529, 2321/1529, 1529 विकल्प हैं। यदि जहां पर कोई विकल्प मौजूद नहीं हो ऐसी स्थिति में रास्ते बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता हैं। प्रार्थीगण के पास रास्ते बाबत् विकल्प होने के बाजवूद माननीय न्यायालय मे उक्त उनवान का प्रार्थना पत्र निराधार तथ्यो पर पेश किया गया है। जो चलने योग्य नही होने से खारिज होने योग्य हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिम निवेदन किये जायेंगें।

अतः माननीय न्यायालय में अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 5 व 9 लगायत 12 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें

तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/1000 दिनांक 10.05.2022 से मौका रिपोर्ट पेश की गई। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अटरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट स्पष्ट नही होने से पुनः पहुंच मार्ग के संबंध में मौका रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2023/952 दिनांक 09.05.2023 से मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 1555 के समीप में प्रार्थीगण की ही भूमि ख0नं0 1529 है जो कि सडक के समीप में है। ख0नं0 1529 व ख0नं0 1555 के बीच में सिर्फ ख0नं0 1551 ही आता है तथा सडक के पास व ख0नं0 1529 के बीच में ख0नं0 2323/1529 आता है। खसरा नं0 1553 में

से होकर रास्ता की दूरी अधिक है तथा रास्ते में भूमि भी अधिक जायेगी। प्रार्थीगण के खेत ख0नं0 1555 में पहुचने के लिए नजदीक व कम भूमि का रास्ता ख0नं0 2323/1529 व स्वयं की ख0नं0 1529 व ख0नं0 1551 में से होकर रास्ता सुलभ रहेगा। प्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 1555 में पहुचने के लिए ख0नं0 2323/1529 रकबा 0.28 है0 में से लम्बाई 90 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल 360 वर्ग मीटर अर्थात् 0.0360 है0 व ख0नं0 1551 रकबा 2.05 है0 में से लम्बाई 94 मीटर व चौडाई 4 मीटर अर्थात् 0.0376 है0 भूमि रास्ता हेतु प्रस्तावित है।

अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दौहराते हुऐ निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 1555 का रकबा 1.73 हे० शामलाती खाता दर्ज चली आ रही है जिसमे आने जाने का रास्ता अप्रार्थीगण 1 लगायत 12 के खाते कि आराजी खसरा न० 1553 कि पश्चिम कि मेड व खसरा 1552 कि पूर्वी मेड व खसरा न० 1551 कि पूर्वी मेड से होकर निकलता है इसमे खसरा 1551 व 1552 के खातेदार को प्रार्थीगण के मेड पर से निकलने पर कोई आपत्ति नही है लेकिन ख0नं0 1553 के अप्रार्थीगण 1 लगायत 12 ने प्रार्थीगण के खेतो पर जाने का रास्ता उनके खेत कि उत्तरी पश्चिमी मेड पर पत्थर का कोट बनाकर रोक दिया प्रार्थीगण का यह रास्ता 50 वर्षों से भी अधिक समय पूर्व का बना हुआ है जिसको अप्रार्थीगण ने रोक दिया। अगर उक्त रास्ता खुलासा नही करवाया गया तो प्रार्थीगण की जमीन पडत रह सकती है तथा प्रार्थीगण को अपने परिवार के पालन–पोषण करने में परेशानी आयेगी।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने उक्त बहस का पूरजोर विरूद्व करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण उनके पूर्वजो के समय से ख0नं0 1552 की आराजी के सहारे ख0नं0 1529 मे होकर आराजी ख0नं0 1555 को काश्त करने के लिए कृषि यन्त्र टेक्ट्रर ट्रोली इत्यादि निकालते चले आ रहे हैं और इस वर्ष भी यही होकर प्रार्थीगण ने टेक्ट्रर ट्रोली कृषि यन्त्र ले जाकर आराजी ख०नं0 1555 को काश्त की है। अप्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी ख0नं0 1553 की पश्चिमी मेड पर होकर कभी भी प्रार्थीगण के खेत ख0नं0 1555 पर आने जाने का रास्ता नही रहा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से उनके खाते की आराजी मे से नया रास्ता चाहा है जबकि मौके पर पुराना स्थायी रास्ता मौजूद है।

अभिभाषकगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों (नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कुण्डी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 429, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल

कुण्डी सम्वत 2071—2074 खाता संख्या 431, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कुण्डी सम्वत 2071—2074 खाता संख्या 482, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कुण्डी सम्वत 2071—2074 खाता संख्या 694, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कुण्डी सम्वत 2071—2074 खाता संख्या 446, नक्शा ट्रेस ग्राम कुण्डी, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कुण्डी सम्वत 2071—2074 खाता संख्या 120,) का अवलोकन किया गया तथा मौका स्थल का निरीक्षण किया गया।

धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी है:—

(I) **<u>वैकल्पिक रास्ता नहीं होना</u>**:— तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2023/952 दिनांक 09.05.2023 के अनुसार ख0नं0 1555 के नजदीक ही ख0नं0 1529 है जो स्वयं प्रार्थीगण का है तथ ख0नं0 1529 सडक के अपेक्षाकृत ज्यादा नजदीक है। ख0नं0 1529 व सडक के मध्य ख0नं0 2323/1529 स्थित है। ख0नं0 1529 प्रार्थी क्रम 2 ता 4 व 6 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा ख0नं0 2323/1529 प्रार्थी क्रम 5 के नाम दर्ज रिकार्ड है। सडक व ख0नं0 1555 के मध्य ख0नं0 1529 जो कि प्रार्थी क्रम 2 ता 4 व 6 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा ख0नं0 2323/1529 जो कि प्रार्थी क्रम 5 के नाम दर्ज रिकार्ड है, स्थित है। अतः सडक व ख0नं0 1555 के मध्य प्रार्थीगण की स्वयं की आराजी होने से वैकल्पिक रास्ते का अभाव प्रार्थीगण के कथनानुसार पूर्णतया साबित नही होता है।

(II) **<u>नितान्त आवश्यकता होना:—</u>** तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2023/952 दिनांक 09.05.2023 के अनुसार ख0नं0 1555 के नजदीक ही ख0नं0 1529 है जो स्वयं प्रार्थीगण का है तथ ख0नं0 1529 सडक के अपेक्षाकृत ज्यादा नजदीक है। ख0नं0 1529 व सडक के मध्य ख0नं0 2323/1529 स्थित है। ख0नं0 1529 प्रार्थी क्रम 2 ता 4 व 6 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा ख0नं0 2323/1529 प्रार्थी क्रम 5 के नाम दर्ज रिकार्ड है। सडक व ख0नं0 1555 के मध्य ख0नं0 1529 जो कि प्रार्थी क्रम 2 ता 4 व 6 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा ख0नं0 2323/1529 जो कि प्रार्थी क्रम 5 के नाम दर्ज रिकार्ड है, स्थित है। अतः सडक व ख0नं0 1555 के मध्य प्रार्थीगण की स्वयं की आराजी होने से प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनानुसार रास्ते की नितान्त आवश्यकता पूर्णतया साबित नही होती है।

(III) **<u>सबसे लघुतम रास्ता होना:—</u>** तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2023/952 दिनांक 09.05.2023 के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम नही है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण व रिपोर्ट तहसीलदार के अवलोकन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने तथ्यों को छुपाकर ख0नं0 1553 से होकर रास्ता चाहा है जबकि प्रार्थीगण के खेत ग्राम व माल कुण्डी पटवार हल्का कुण्डी के ख0नं0 1555 तक पहुंचने हेतु ख0 नं0 1529, ख0नं0 2323/1529 व ख0नं0 1551 से होकर लघुत्तम रास्ता है। प्रार्थीगण ने तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम व माल कुण्डी के खाता संख्या 431 के ख0नं0 1555 के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट खारिज फरमाया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां